FORM-21 C

(See Rule 64)

(For use in general election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from 99-PUSHKAR Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that –

SHRI SURESH SINGH RAWAT

VILLAGE & P.O. – MUHAMI, VAYA – GAGWANA, DISTRICT – AJMER PIN CODE 305023

Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY of the (recognized /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- AJMER Date - 11-12-2018

(HARI SINGH LAMBORA)

RETURNING OFFICER
9-PUSHKAR ASSEMBLY CONSTITUTION

99-PUSHKAR ASSEMBLY CONSTITUENCY SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, PUSHKAR

उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर

प्ररूप—21ग (नियम 64 देखियें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधिन निर्वाचन के परिणान की घोषणा।

99— पुष्कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि:—

श्री सुरेश सिंह रावत

पता— मु0पो0 ग्राम — मुहामी, वाया गगवाना जिला अजमेर 305023 जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खंडे किये गये है। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थानः- अजमेर। तारिखः- 11.12.2018

(हरिसिंह लम्बोरा) रिटर्निंग ऑफिसर विधानुस्सितं क्षेत्रकारपुष्कर (स्मृख्युष्ट अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर